

परिवहन विभाग

बिहार सरकार



सीट बेल्ट लगायें,
दुर्घटना दूर भगायें

सुरक्षा का है शास्त्र,
चार पहिया वाहन के लिए सीट बेल्ट है ब्रम्हास्त्र



सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर 100 रुपया तथा पश्चातवर्ती अपराध हेतु 300 रुपये के दण्ड का प्रावधान है साथ ही सरकारी आदेश के अनुपालन नहीं करने पर 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माना भरना होगा

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 179
एवं मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 138 (3) के तहत